न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०......744/2023

(कंप्यूटर रजि०नं० 3246/2023)

सरकार बनाम बब्लू

अंतर्गत धारा–307 भा०द०सं०

थाना–साहिबाबाद गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–839/2022

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्त बब्लू को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

यह कि दिनांक 06.06.2022 को समय 07.30 बजे शाम स्थान करहैडा रोड शराब के ठेके के पास, मोहननगर अंतर्गत सीमा थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्त द्वारा वादी नितिश गिरि को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया गया। आपके द्वारा उक्त कृत्य इस आशय, ज्ञान एवं परिस्थिति में किया गया कि यदि उक्त कृत्य से वादी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–307 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 23.07.2024

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 23.07.2024

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.07.23 17:06:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court